



उत्तर प्रदेश शासन
औद्योगिक विकास अनुभाग-6
संख्या-31/2022/1740/77-6-2022-6099/159/2022
लखनऊ : दिनांक 13 जुलाई, 2022

अधिसूचना

भारत का संविधान के अनुच्छेद 162 के अन्तर्गत कार्यपालक शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधिसूचना संख्या-691/77-6-17-5(एम)/17 दिनांक 13.07.2017 द्वारा प्रख्यापित 'उत्तर प्रदेश औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति-2017' की प्रभावी अवधि दिनांक 13.07.2022 से आगामी 03 माह के लिए विस्तारित किए जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

अरविन्द कुमार
अपर मुख्य सचिव।

संख्या-31/2022/1740(1)/77-6-2022-6099/159/2022 तददिनांक-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, उ0प्र0शासन।
3. समस्त मुख्य कार्यपालक अधिकारी, औद्योगिक विकास प्राधिकरण।
4. मुख्य कार्यपालक अधिकारी, इन्वेस्ट यू0पी0 ।
5. समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उ0प्र0।
6. प्रबन्ध निदेशक, पिकप/उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम।
7. आयुक्त एवं निदेशक, उद्योग, उद्योग निदेशालय, कानपुर।
8. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उ0प्र0।
9. समस्त अनुभाग, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग उ0प्र0शासन।
10. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
रजनी कान्त पाण्डेय
अनु सचिव।